an>

Title: Need to optimize the utilization of funds collected under Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 for the welfare of labourers.

श्री ओम बिरला (कोटा) : भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर संगृहित किया जाता है और इसे संबंधित राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को दिया जाता है ताकि संनिर्माण कामगारों के कल्याण पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

इस मद में गत तीन वर्षों में लगभग 31 हजार करोड़ रूपये का उपकर विभिन्न राज्यों में संगृहित किया गया और कामगारों के कल्याण हेतु केवल 4 हजार 500 करोड़ रूपये ही खर्च किए जा सके हैं। यहां उल्लेखित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार अधिनियम 1996 की धारा 60 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश भी दिया हुआ है कि कामगारों की कल्याण योजनाओं, मृत्यु प्रसुविधा, दुर्घटना लाभ, अंत्येष्टि सहायता, शिक्षण सहायता, वृद्धावस्था, अपंगता के कारण कार्य न करने पर पेंशन, चिकित्सा बीमा, औजारों की खरीद के लिए सहायता, कौशल उन्नयन, मातृत्व लाभ एवं आवास की मरम्मत एवं निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करें। लेकिन कामगारों को सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही है।

अतः सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग हैं कि उक्त एकत्रित राशि को श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए तथा राज्यों को श्रमिकों के लिए एकत्रित उक्त राशि को खर्च करने के दिशा-निर्देश दिए जाएं तथा श्रमिकों को दी जा रही सहायता राशि को भी बढ़ाया जाए जिससे श्रमिकों को समय पर मृत्यु प्रसुविधा, दुर्घटना लाभ, अंत्येष्टि सहायता, शिक्षण सहायता, वृद्धावस्था, अपंगता के कारण कार्य न करने पर पेंशन, चिकित्सा बीमा, औजारों की खरीद के लिए सहायता, कौशल उन्नयन, मातृत्व लाभ एवं आवास की मरम्मत एवं निर्माण के लिए सहायता प्राप्त हो सके।

(इति)